बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं० सं0–पि0व0 / यो०–40–09 / 2014–

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः– मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत पूर्ववर्ती वर्षों की अवशेष राशि से वर्ष 2013 एवं 2014 में वंचित छात्र / छात्राओं को लाभान्वित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशाानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत पूर्ववर्ती वर्षों यथा वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–2014 में आवंटित राशि वितरण के पश्चात अवशेष बची हुई है, जिसे वित्तीय वर्ष 2013 एवं 2014 में मेधावृत्ति योजना के लाभ से वंचित छात्र / छात्राओं के बीच वितरण हेतु मार्ग दर्शन की मांग जिलों से की जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में कहना है कि मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत पूर्ववर्ती वर्षों की अवशेष राशि से वर्ष 2013 एवं 2014 में मेधावृत्ति योजना के लाभ से वंचित छात्र / छात्राओं के बीच मेधावृत्ति की राशि का वितरण अविलंब किया जाय। यदि वितरण के पश्चात राशि अवशेष रहती है तो उसे सरकारी खाते में जमा करने की कार्रवाई की जाय।

बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के द्वारा से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत बैंक ड्राफ्ट / चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी राशि यदि अवशेष बची हुई है तो उसे वर्ष 2013 एवं 2014 में मेधावृत्ति योजना के लाभ से वंचित छात्र / छात्राओं के बीच अविलम्ब वितरण किया जाय। यदि वितरण के पश्चात राशि अवशेष रहती है तो उसे बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना को वापस किया जाय।

विश्वासभाजन

ह० / –
(मनोज कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0 / यो०–40–09 / 2014– 41 पटना, दिनांक– 8-1-16

प्रतिलिपि– ~~सभी~~ उप निदेशक कल्याण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
आपसे अनुरोध है कि उक्त योजनान्तर्गत पूर्ववर्ती वर्षों की अवशेष का वितरण अविलंब वर्ष 2013 एवं 2014 में वंचित छात्र / छात्राओं के बीच कराते हुए अवशेष राशि को सरकारी खाते में जमा करने की कार्रवाई की जाय।

6/1/16
सरकार के उप सचिव।